न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

ण संख्या 611/2025 वाद पत्र

उनवान

द्री पिता मेघा माली उम्र वयस्क निवासी रेण, तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा

बी पिता मेघा माली उम्र वयस्क निवासी रेण, तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गैंदलिया पं0 स0 कोटड़ी जिला शाहपुरा

संजय खटीक पिता जमना खटीक उम्र वयस्क निवासी रेण तह0 कोटड़ी जिला शाहपुरा

गीता कंवर पत्नी उदयसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी रेण तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा

श्याम कंवर पत्नी शिवसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी रेण तह0 कोटड़ी जिला शाहपुरा

प्रहलाद सिंह पिता उदयसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी रेण तह0 कोटड़ी जिला शाहपुरा

प्रेमसिंह पिता चैनसिंह गोद पिता सज्जन सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी रेण तह0 कोटड़ी जिला शाहपुरा

. शिवचरण थानाधिकारी पुलिस थाना बड़लियास जिला शाहपुरा

. कर्मबीर पुलिस कानि0 पुलिस थाना बड़लियास जिला शाहपुरा

. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी जिला शाहपुरा

0. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार/उपपंजीयक बड़लियास कोटड़ी जिला शाहपुरा

विपक्षीगण

उपस्थित अधिवक्ता –

1. जयप्रकाश नारायण शर्मा:– वादी/अप्रार्थी
2. लोकेश कुमार:– वादी/अप्रार्थी
3. अनिल कुमार औझा:– प्रतिवादी/प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0

निर्णय दिनांक–23/12/2025

वादी द्वारा दिनांक 30.11.2023 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 92क एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी में प्रस्तुत किया गया। वादपत्र क्रम संख्या 84/2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी की गई तथा विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राज–1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील कोटड़ी का पुनर्गठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा/खेडलिया/महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाड़ा सम्मिलित किये जाने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में स्थानान्तरित की है। प्रकरण उपखण्ड भीलवाड़ा में दिनांक 30.07.2024 को प्रकरण संख्या 620/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किये गये।

श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक न्याया/विविध/2025/42033 दिनांक 13.02.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 89, 92क, 183, 188 एवं 212 के अन्तर्गत विचाराधीन तहसील सवाईपुर की पत्रावलियां अंतरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में पेश होने से पत्रावली दिनांक 27.03.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 611/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान की सुनवाई हेतु नियत की गई।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी द्वारा ग्राम रेण तहसील कोटड़ी की आराजी संख्या 230 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा में से 7.5 बिस्वा भूमि वादीगण के स्वर्गीय पितामह धीसा पिता गोदा माली द्वारा [illegible] तख्तसिंह कोठारी को अपंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किये जाने और तत्कालीन कामदार [illegible]लाल द्वारा लिखे जाने का अंकन करने हेतु स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करने बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी/प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गेंदलिया पंचायत समिति कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांक 15.09.2025 को पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

वादीगण द्वारा एक झूठा मनगढ़ंत दावा न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया है जो कपोल कल्पित आधारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत गेंदलिया की आबादी भूमि खसरा संख्या 230 के संदर्भ में घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए दावा प्रस्तुत किया है।

समस्त प्रकार की आबादी भूमि के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही वाद अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार केवल माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है इसलिए उक्त भूमि के संदर्भ में वादपत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं है।

वादपत्र में वर्णित सरकारी भूमि के संबंध में प्रार्थी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गेंदलीया पंचायत समिति कोटड़ी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा को सफाई करने, अतिक्रमण हटाने, सड़क बनाने, नाला निकालने एवं जन सुविधा के लिए अन्य कार्य करते हुये विकसित करने का अधिकार प्राप्त है वादीगण उक्त आराजी के संबंध में कोई हक अधिकार नहीं रखता है फिर भी सरकारी आबादी खसरा नंबर 230 रकबा 1.4800 किस्म गेमू आबादी के संदर्भ मे घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है और आबादी भूमि के संदर्भ में सभी प्रकार के हक अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त है इसलिए वादीगण को वादग्रस्त आबादी भूमि पर किसी प्रकार की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है इसलिए उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं होने से विधि द्वारा वर्जित होने से वाद जाब्ता दीवानी के आदेश 7 नियम 11 (क) के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल खारिज है।

वादीगण ने न्यायालय श्रीमान को मुगालते में रख कर एक तरफा स्थगन प्राप्त कर लिया है और ग्राम पंचायत द्वारा अतिकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये आबादी भूमि पर पड़ी गंदगी को साफ कर आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये स्वच्छ भारत अभियान के तहत मौके से अतिकर्मियों/वादियो के अतिक्रमण बीच बाजार में गंदगी का अंबर लगाकर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर बीमारिया पैदा होने से रोकने के लिए हटा कर सफाई की है।

वादीगण का उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं है।

उक्त वादपत्र में वर्णित तथ्यों को सुनने के लिए न्यायालय श्रीमान को क्षेत्राधिकारिता प्राप्त नहीं है लेकिन वादीगण ने जान बुझकर न्यायालय और प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का समय जाया करने के लिए यह विधि द्वारा वर्जित वाद को न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है इस कारण वाद–पत्र खारिज योग्य है।

वादीगण का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के क्लोज (घ) के तहत विधि द्वारा वर्जित श्रेणी में आने से वाद पोषणीय नहीं होने से उक्त वादपत्र को इसी स्टेज पर हेवी से हेवी कोस्ट पर खारिज किया जाने का आदेश प्रदान करावे।

अतः श्रीमान से निवेदन है की प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से हेवी कोस्ट पर खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 का जवाब वादीगण की ओर से दिनांक 15.10.2025 को पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न है:-

प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 01 अस्वीकार है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया नियमित राजस्व वाद काफी ठोस आधारों पर आधारित होकर अवश्य स्वीकार होगा।

23/12/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 02 में उल्लेखित तथ्य आराजी खसरा संख्या–230 को ग्राम [पंचा]यत गेन्दलिया की आबादी भूमि होना उल्लेखित किया गया, जो त्रुटिपूर्ण होकर अस्वीकार है। रेण तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा संख्या–230 को श्री [illegible] तख्तसिंह कोठारी निवासी उदयपुर वालो से दिनांक 21–06–1965 को 4.5 बिस्वा भूमि खरीद गई थी। जिसके पड़ौस वादपत्र की कलम नम्बर 01 में उल्लेखित किये हुए है, वादीगण के पितामह घीसा पिता गोदाजी माली ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी भू-भाग में से 1.5 [बिस्वा] भूमि खरीद की गई, भूमि खरीद करने के परिप्रेक्ष्य में एक विक्रय विलेख तत्समय के काश्तकार [..]लाल जी ने अपने हाथो से लिखकर निष्पादित कराया गया। वर्णित खरीदशुदा भूभाग तत्समय खसरा संख्या–230 रकबा 6.17 बीघा में सम्मिलित होकर संवत 2010 से लगभग 2013 के [राजस्व] अधिकार अभिलेख जमाबन्दी में किस्म भूमि गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड थी। जिससे यह [..] सुस्थापित है कि वर्ष 1965 में आराजी खसरा संख्या–230 मे से खरीद किया गया भूभाग [ग्रा०पं०] आबादी भूमि नही होकर गैर काबिल काश्त भूमि थी, और खरीदशुदा भूमि में वादीगण के [..]जी के जीवनकाल से मवेशियो के गोबर व रोड़ी डालकर उपयोग–उपभोग वादीगण करते चले [आ] रहे है।

प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 03 अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या–01 ने आबादी भूमि के लिए [व]ाद/अपील सिविल न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होना उल्लेखित किया है, किन्तु [प्र]तिवादी का यह कथन असत्य निराधार है कि आराजी खसरा संख्या–230 में से आंशिक भूभाग [व]र्ष 1965 में वादीगण के पितामह द्वारा खरीद किया गया था, वक्त खरीद के भूमि गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड थी। अर्थात् पंचायत की आबादी भूमि नहीं थी, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय को सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार है।

प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 04 अस्वीकार है। क्योकि ग्राम रेण ग्राम पंचायत गेन्दलिया तहसील कोटड़ी में स्थित खसरा संख्या–230 का आंशिक भूभाग सन् 1965 में खरीद किया गया था, वक्त खरीद के भूमि गैर काबिल काश्त दर्ज थी, जो संवत 2010 से 2013 की जमाबन्दी में दर्ज रेकार्ड है, तत्पश्चात हल्का पटवारी ने रोटेशन की जमाबन्दी लिखते समय गैर काबिल काश्त भूमि को निवासगृह तथा बस्तियो का अंकन किया गया जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण इन्द्राज था, हल्का पटवारी को जमाबन्दी में इस प्रकार बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के इन्द्राज को परिवर्तन करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को गैर काबिल काश्त भूमि को पंचायत की आबादी भूमि बताकर अपने आवेदन में त्रुटिपूर्ण असत्य कथन किये है, जो निराधार है।

प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 05 अस्वीकार है। वादीगण की और से न्यायालय को किसी प्रकार से गुमराह न कर वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योकि प्रश्नगत भूभाग वर्ष 1965 में वादीगण के पितामह द्वारा खरीदशुदा भूमि जो वक्त खरीद के गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड थी. जिसे बाद में हल्का पटवारी ने अपने स्तर पर निवास व बस्तियां अंकित कर दिया। हल्का पटवारी का यह इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होकर विधि विरूद्ध है।

प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 06 अस्वीकार है। वादीगण की और नियमित राजस्व वाद विधि अनुकूल प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 07 अस्वीकार है। वादपत्र में यह उल्लेख किया गया कि सन् 1965 में वादीगण के पितामह ने ग्राम रेण के आराजी खसरा संख्या–230 में आंशिक भूभाग प्रतिफल राशि भुगतान कर खरीद किया गया था, वक्त खरीद के भूमि गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड थी, जो जमाबन्दी संवत् 2010 से 2013 में उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को वादपत्र सुनने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 08 अस्वीकार है। क्योकि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या–230 सन् 1965 में वादीगण के पितामह द्वारा सद्भाविक रूप से प्रतिफल राशि भुगतान कर खरीद की गई थी. वक्त खरीद के भूमि गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड थी, जो जमाबन्दी संवत् 2010 से 2013 में किये हुए इन्द्राज से स्पष्ट है।

अतः प्रतिवादी संख्या–01 की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा०दी० में वास्तविक तथ्यो को छिपाते हुए प्रस्तुत किया जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निम्न अनुतोष चाहा गया है:–

23/12/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पितामह
धीसा पिता गोदा जी माली ने अपने जीवनकाल में ग्राम रेण तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा हाल
जिला शाहपुरा में श्री गिरधारी सिंह, तख्तसिंह कोठारी निवासी उदयपुर वालों से दिनांक
21–06–1965 को 4.5 बिस्वा भूमि तथा 03 बिस्वा भूमि कुल 7.5 बिस्वा भूमि खरीद की गई। वर्णित
खरीदशुदा आराजी भू–भाग तत्समय में खसरा संख्या–230 रकबा 6.17 बीघा में सम्मिलित होकर
संवत 2010 से लगायत 2013 के राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी में किस्म भूमि गैर काबिल
काश्त दर्ज रिकार्ड थी। वर्तमान में उक्त आराजी भूभाग जमाबंदी संवत 2078 जो वर्तमान में खाता
संख्या–222 में विकास पंचायत गेंदलिया आबादी के रूप में दर्ज इन्द्राज जो विधि विपरीत होने से
निरस्त कराया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करा राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने
हेतु डिक्री बहक वादीगण जारी कराना फरमावें, साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से
पाबन्द कराया जावे कि वो वादग्रस्त आराजी भू–भाग जो वादीगण के कब्जे व उपयोग–उपभोग में
चली आ रही है उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें न किसी अन्य से करावें। भूमि निजाई को
खुर्द–बुर्द न करें न किसी अन्य से करावें, न वादीगण को भूमि निजाई से बेदखल करें, अन्य दाद
से मुफीद हो दिलाई जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधान निम्नानुसार है:

A. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।

B. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

C. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

D. जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

E. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।

F. जहां वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

पत्रावली में उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि ग्राम रेण तहसील कोटड़ी की वादग्रस्त आराजी संख्या 230 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा (1.48 हेक्टेयर) भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकीन आबादी भूमि है। वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015 की जमाबन्दी में खाता संख्या 01 में सिवायचक दर्ज होकर गैरमुमकीन आबादी दर्ज है।

वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2008 में ग्राम रेण तहसील भीलवाड़ा की वादग्रस्त आराजी संख्या 230 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि बसन्तीलाल 3/4, सुन्दरलाल 1/4 पिता हिरालाल महाजन मुरड़ीया साकिन उदयपुर के नाम जमाबन्दी के कॉलम संख्या 2 में नाममालिक हासिलमय वल्दियत, कौमियत, सकूनत दर्ज है। कॉलम संख्या 03 में बिलानाम गर काबिल काश्त आबादी दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि किसी आसामी (खातेदार) की नहीं होकर जागीरदार के नाम दर्ज थी। वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत खसरा भूप्रबन्ध बन्दोबस्त सम्वत 2008 ग्राम रेण जागिर तहसील कोटड़ी के कॉलम संख्या 11 में बिलानाम अंकित है। जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आन से पहले से ही गैर मुमकीन आबादी दर्ज थी। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी के रूप में क्रम संख्या 1 पर राजस्थान राज्य जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गेंदलिया पंचायत समिति कोटड़ी को पक्षकार कायम किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 109 के अनुसार ग्राम पंचायत अथवा सरपंच को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व 2 माह का नोटिस दिये जाने का आज्ञात्मक प्रावधान है। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने से 2 माह पूर्व प्रतिवादी क्रम संख्या 1 को 2 माह का नोटिस नहीं दिया गया है। अतः वादी का वादपत्र आदेश 07 नियम 11 के बिन्दु संख्या D से स्पष्टतः बाधित होता है और खारिज किये जाने योग्य है।

23/12/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में से 7.5 बिस्वा भूमि श्री गिरधारी सिंह, तख्त सिंह कोठारी निवासी उदयपुर वालों से क्रय की थी, जिसका उन्हे पूर्ण अधिकार था। वादग्रस्त भूमि गैर मुमकीन आबादी भूमि नहीं होकर गैर काबिल काश्त भूमि थी, जिसमें वादीगण के पूर्वजों के समय से ही मवेशियों के गोबर और रोड़ी डालकर उपयोग में ले रहे है। अतः वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि नहीं होकर गैर काबिल काश्त की भूमि है। जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय का होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी के निस्तारण हेतु पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 के प्रावधानों का मनन किया जाना आवश्यक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 109 के प्रावधान निम्नानुसार है:-

किसी पंचायती राज संस्था के विरुद्ध या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध या किसी पंचायती राज संस्था या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के निर्देशन में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन उसकी आधिकारिक क्षमता में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य सिविल कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

a. लिखित में नोटिस, जिसमें कार्रवाई का कारण, इच्छुक वादी का नाम और निवास स्थान और उसके द्वारा दावा की जाने वाली राहत की प्रकृति बताई गई हो, उसके कार्यालय में वितरित या छोड़ी ग़ई हो या किसी सदस्य, अधिकारी, सेवक या पूर्वोक्त व्यक्ति के मामले में, उसे वितरित या कार्यालय में या उसके सामान्य निवास स्थान पर छोड़ी गई हो, के बाद दो महीने की समाप्ति तक संस्थित किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वादपत्र में यह कथन होगा कि ऐसी सूचना इस प्रकार वितरित या छोड़ी गई है, या

b. जब तक कि यह अचल संपत्ति की वसूली या उसके स्वामित्व की घोषणा के लिए वाद न हो, अभिकथित वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने के पश्चात् हस्तांतरण के पश्चात् छह माह के भीतर अन्यथा संस्थित नहीं किया जाएगा।

2. उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना, जब वह किसी पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के लिए आशयित हो, क्रमशः सरपंच, विकास अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित की जाएगी।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुतीकरण से पूर्व 2 माह का नोटिस दिये जाने का आज्ञात्मक प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम संख्या 01 को 2 माह पूर्व नोटिस भेज जाने से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। साथ ही वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त ग्राम रेण की आराजी संख्या 230 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा सम्वत् 2008 में जागीरदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी, जिसकी किस्म आबादी दर्ज थी। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावशील होने से पूर्व से ही आबादी दर्ज थी, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 109 के आज्ञात्मक प्रावधानों से बाधित होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी के उपबिन्दु संख्या D से प्रथम दृष्टया बाधित होना स्पष्ट होता है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है और वादी का वाद आदेश 7 निमय 11 जाब्ता दीवानी के बिन्दु संख्या D से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

23/2/25

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा